

345

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



निगरानी - 3365/2018/रीवा/भू.र

रामशरण पटेल तनय जग्यलाल पटेल निवासी ग्राम पांती महतमान थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा(म०प्र०)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

हरीशंकर पटेल तनय ईश्वरदीन पटेल निवासी ग्राम तेलिहा महतमान थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा(म०प्र०)

श्री. यागद बिंदु शर्मा  
द्वारा आ. 2-6-18  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क पु  
दिनांक 14-6-18

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अनु०विभा०  
अधि०महो०, तह०-हनुमना के द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 128/अ6/16×17  
में पारित आदेश दिनांक 09/05/018  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का०मा०  
1959ईस्वी के तहत

बलक उ. 2-6-18  
राजस्व मण्डल

*[Handwritten signature]*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

345

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

नि.ग. 3365/18/रा.वा./अ.रा.

21/12/18 / 21/12/18

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26-12-18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>राजेश चंद्र सिंह ग्वालियर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - <u>इ.गु.गवा.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>128/31-6/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>9-5-18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रा.वा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>08/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>रा.वा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> सदस्य</p>	

[Signature]